Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ग्राम खण्डेलसर, सीकर में सुनील कुमार पटवारी 3,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार।

जयपुर दिनांक 18.08.2025 सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुनील कुमार पटवारी, पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को परिवादी के विरासत का नामान्तरण भरने की एवज में परिवादी से 9,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग करने तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.08.2025 को परिवादी से 6,000/- रूपये प्राप्त कर शेष 3,000 रूपये ओर रिश्वत की मांग कर मांग के अनुशरण में आज दिनांक 18.08.2025 को परिवादी से **3,000/- रूपये** बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि एसीबी की सीकर ईकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के विरासत का नामान्तरण भरने की एवज में आरोपी श्री सुनील कुमार पटवारी, पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा 9,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की सीकर ईकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी सुनील कुमार पटवारी, पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को परिवादी से 3,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस-प्रथम श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी पटवारी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।